[2018] 3 एस.सी.आर. 29

द्वारिका प्रसाद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 000148 वर्ष 2018)

मार्च 06, 2018

[दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए.एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगढ़]

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 - धारा 13 (8) - मोचन का अधिकार - शमन - अभिनिर्धारित: धारा 13 (8) में यह अधिदेशित किया गया है कि यह केवल तभी है जहां सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले लागत, प्रभार और व्यय के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि सुरक्षित संपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाना है - तथ्यों के आधार पर, स्वीकृत ऋण के अपीलकर्ता प्रत्याभूतदाता ने अचल संपत्ति के संबंध में एक न्यायसंगत बंधक बनाया और उक्त संपत्ति को बैंक द्वारा नीलाम कर दिया गया - अपीलकर्ता को संपत्ति बेचकर अपनी बकाया राशि वसूलने के अपने अधिकार पर जोर देने के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के बारे में पता था - जबकि अपीलकर्ता ने बैंक के साथ 7,00,000/- रुपये की राशि जमा की, लेकिन धारा 13 (8) के प्रावधानों के अनुसार शेष राशि जमा करने में विफलता - उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही वापस लेने के बाद भी, अपीलकर्ता ने लागत, शुल्क और खर्चों के साथ देय शेष राशि जमा नहीं की - बिक्री की पुष्टि की गई और पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया - इस प्रकार, पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन पर मोचन का अधिकार समाप्त हो गया - हालांकि, अपीलकर्ता को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 7,00,000/- रुपये की जमा राशि वापस की जाएगी।

यह मुद्दा विचार के लिए उठाया गया कि क्या अपीलकर्ता-बंधक का संपत्ति को भुनाने का अधिकार पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन पर जीवित रहता है।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने,

अपीलकर्ता प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (8) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। क़ानून कहता है कि यह केवल वही है जहां सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि लागत, शुल्क और व्यय के साथ दी जाती है। बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तारीख से पहले कि सुरक्षित संपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाना है। अपीलकर्ता को संपत्ति बेचकर

अपने बकाया की वसूली के अधिकार पर जोर देने के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के बारे में पता था। अपीलकर्ता ने प्रतिभूतिकरण आवेदन में डीआरटी का रुख किया। उन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, अधिकरण द्वारा 1 फरवरी 2016 और 3 फरवरी 2016 को आदेश पारित किए गए थे। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने बैंक और नीलामी खरीददार को 15 मार्च 2016 तक बिक्री विलेख निष्पादित करने से रोक दिया। स्थगन को 28 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया था, जिस तारीख तक अपीलकर्ता को 7,00,000/- रुपये की राशि जमा करनी थी। शेष राशि 30 अप्रैल 2016 तक जमा करानी थी। जबकि अपीलकर्ता ने बैंक के साथ 7,00,000/- रुपये की राशि जमा की, वह धारा 13 (8) के प्रावधानों के अनुसार शेष राशि जमा करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही वापस लेने के बाद भी, अपीलकर्ता ने लागत, शुल्क और खर्चों के साथ बकाया राशि जमा नहीं की। बिक्री की पुष्टि की गई, एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया और 12 अप्रैल 2016 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया। पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन पर मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता जमा की तारीख से भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ अपनी 7,00,000/- रुपये की जमा राशि की वापसी का हकदार है। [पैरा 6, 7] [35-बी-जी]

मैथ्यू वर्गीज बनाम एम अमृता कुमार **[2014] 2 एस.सी.आर. 736: (2014) 5 एस.सी.सी. 610 - पर निर्भरता।**

केस लॉ रेफरेंस

[2014] 2 एस.सी.आर. 736 के पैरा 6 पर निर्भरता।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 000148 वर्ष 2018।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 24089 वर्ष 2016 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.05.2016 से।

अपीलकर्ता की ओर अधिवक्ता से नलिन त्रिपाठी, आरके माहेश्वरी, सुश्री संपा सेनगुप्ता रे, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता संजय कुमार त्यागी, अविरल सक्सेना, अमित शर्मा, सुश्री एकता चौधरी, टी. महिपाल, श्री राम कृष्ण, आभास कुमार, दीपक शर्मा,।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** द्वारा दिया गया,

1 अपीलकर्ता जितेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत ऋण का प्रत्याभूतदाता था। 20 जून 2009 के मंजूरी पत्र के तहत, उधारकर्ता को नौकरी मिलने के बाद 24 महीने (12 महीने और अतिरिक्त 12 महीने की छूट अवधि शामिल है) या छह महीने का "पुनर्भुगतान अवकाश", जो भी पहले था। पुनर्भुगतान 20 जून 2011 से शुरू होना था। दायित्व को सुरक्षित करने के लिए, अपीलकर्ता ने खसरा संख्या 185, 186 और 188,

सेंट्रल दून, देहरादून वाली अचल संपत्ति के संबंध में एक न्यायसंगत बंधक बनाया। अपीलकर्ता के अनुरोध पर, पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित अवधि को छह महीने की दो अवधियों (29 जून 2011 से 20 दिसंबर 2011 और फिर 30 जून 2012 तक) के लिए बढ़ा दिया गया था। ऋण का भुगतान नहीं किया गया था। खाते को 3 सितंबर 2013 को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कार्पोरेशन बैंक (दूसरा प्रतिवादी) जिसने ऋण का वितरण किया था, ने 12 सितंबर 2013 को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत रिकॉल नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू की। न तो कोई अभ्यावेदन दिया गया और न ही कोई पैसा जमा किया गया। बैंक ने 14 फरवरी 2015 को प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया। संपत्ति को 30 मार्च 2015 को ई-नीलामी के लिए रखा गया था। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। दूसरी ई-नीलामी 30 जनवरी 2016 को होनी थी। नीलामी के जवाब में बैंक को एक बोली प्राप्त होने के बाद, अपीलकर्ता ने शुरू में 36 लाख रुपये के बकाये के मुकाबले 2,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का प्रस्ताव रखा। यह स्वीकार्य नहीं था। डीआरटी के समक्ष कार्यवाही 1 फरवरी 2016 को सूचीबद्ध की गई थी, जिसके दौरान अपीलकर्ता ने कहा कि वह तीन दिनों के भीतर मोचन आवेदन दायर करेगा। कार्यवाही 4 फरवरी 2016 तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिक्री की पुष्टि पर कोई रोक नहीं दी गई थी। बिक्री की पुष्टि 2 फरवरी 2016 को की गई थी। अपीलकर्ता ने 3 फरवरी 2016 को एक मोचन प्रस्ताव पेश किया। डीआरटी के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (रिट (सी) 10877 वर्ष 2016) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 15 मार्च 2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

> "याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निर्देशों पर कहा कि याचिकाकर्ता तैयार है और एक महीने के भीतर पूरी ऋण राशि जमा करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि 28.3.2016 को या उससे पहले याचिकाकर्ता 7,00,000/- रुपये जमा करेगा और शेष राशि जो बैंक द्वारा सूचित की जा सकती है, 30.4.2016 को या उससे पहले जमा की जाएगी।
>
> इस मामले को 28.3.2016 को एक नए मामले के रूप में रखा गया। उक्त तिथि तक याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक के साथ 7,00,000/- रुपये की जमा राशि की प्राप्ति के प्रमाण के साथ एक पूरक हलफनामा भरेगा।
>
> बिक्री विलेख के निष्पादन पर 28.3.2016 तक रोक रहेगी।"

दस्तावेजों से यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 7,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया। हालांकि, 28 मार्च 2016 को न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि अपीलकर्ता ने पहले ही डीआरटी के समक्ष कार्यवाही शुरू कर दी थी। रिट याचिका की विचारणीयता पर बैंक द्वारा उठाई गई आपत्ति को नोट किए जाने पर, अपीलकर्ता ने रिट याचिका वापस लेने और डीआरटी

के समक्ष उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी। इसलिए, 28 मार्च 2016 को, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

> "श्री शशि धर सहाय, प्रतिवादी - बैंक के विद्वान अधिवक्ता निर्देशों के आधार पर हमारे ध्यान में लाया गया है कि याचिकाकर्ता जो ऋण के प्रत्याभूतदाता हैं, उन्होंने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष उसी राहत के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है जिसका दावा रिट याचिका में किया जा रहा है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष अस्थायी राहत के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया है, जो लंबित है।
>
> याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से जब पूछताछ की गई तो उपरोक्त तथ्यों ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति देने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी।
>
> प्रार्थना की अनुमति है।
>
> रिट याचिका निरस्त की जाती है क्योंकि इसे वापस लिया गया है।"

रिट याचिका खारिज होने के बाद नीलामी खरीददार के पक्ष में 5 अप्रैल, 2016 को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया। बिक्री की पुष्टि के बाद, बैंक ने 54,41,500/- रुपये की कुल राशि की प्राप्ति के खिलाफ एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया। नीलामी खरीदारों (प्रतिवादी संख्या 3 और 4) ने संपत्ति का कब्जा ले लिया।

2. अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि चूंकि वह बैंक के बकाये का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक है, इसलिए उसे बंधक संपत्ति को भुनाने का अधिकार है और मोचन के लिए उसकी पेशकश पर विचार किए बिना नीलामी बिक्री अवैध और शून्य थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि नीलामी खरीदार के पक्ष में बिक्री के निष्पादन से पहले मोचन के अधिकार का प्रयोग स्वीकार्य है। इस विचार में, एक बार बिक्री पूरी हो जाने और पंजीकृत होने के बाद, अपीलकर्ता के लिए मोचन की इक्विटी का उपयोग करना खुला नहीं था। उच्च न्यायालय ने मैथ्यू वर्गीज बनाम एम. अमृता कुमार[1] मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

3. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिक्री की पुष्टि से पहले, अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से बैंक के दावे के लिए 36,00,000 रुपये की राशि को चुकाने की पेशकश की और 6,00,000 रुपये की प्रारंभिक जमा करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया। हालांकि डीआरटी से पहले बैंक ने किया था प्रदर्शन फरवरी 2016 में कहा गया कि अपीलकर्ता को मोचन के लिए आवेदन करना चाहिए, जब 3 फरवरी 2016 को आवेदन

---

[1] (2014) 5 एससीसी 610

किया गया तो इसे मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय के 15 मार्च 2016 के आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने 7,00,000/- रुपये की राशि जमा की और 15 मार्च 2016 के आदेश में निर्धारित समय 30 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करने के लिए तैयार था। इसलिए यह आग्रह किया गया था कि बैंक के लिए 12 अप्रैल 2016 को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने डीआरटी के समक्ष अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं किया था, यह उसके नियंत्रण में एक परिस्थिति नहीं थी और अपीलकर्ता ने 7,00,000/- रुपये का आंशिक भुगतान करके अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया।

4. दूसरी ओर, बैंक की ओर से और नीलामी खरीदारों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। यह आग्रह किया गया था कि डीआरटी का रुख करने के बावजूद, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष राहत मांगी। उच्च न्यायालय ने 15 मार्च 2016 को एक आदेश पारित किया जिसमें बयान दर्ज किया गया कि अपीलकर्ता 28 मार्च 2016 तक 7,00,000/- रुपये की राशि जमा करेगा और शेष राशि 30 अप्रैल 2016 तक जमा करेगा, रिट याचिका 28 मार्च 2016 को अधिकरण के समक्ष कार्यवाही करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई। किसी भी स्तर पर अधिकरण ने बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक नहीं लगाई। बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया और इसके बाद अप्रैल 2016 में बिक्री विलेख का पंजीकरण किया गया था। बैंक ने नीलामी द्वारा प्रस्तावित बिक्री का विज्ञापन दिया था और कानून के तहत सभी अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था। अपीलकर्ता धारा 13 (8) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। ऐसा करने में विफल रहने पर, अपीलकर्ता बिक्री के पूरा होने और बिक्री विलेख के पंजीकरण पर मोचन की इक्विटी का दावा नहीं कर सकता है।

5. सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) निम्नानुसार प्रावधान करती है:

> "(8) यदि सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि उसके द्वारा की गई सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों के साथ सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी भी समय दी जाती है, तो सुरक्षित संपत्ति को सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए उसके द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।"

ये प्रावधान **मैथ्यू वर्गीज** (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या के अंतर्गत हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 पर आधारित, इस न्यायालय ने कहा कि मोचन का अधिकार एक बंधक के लिए उपलब्ध है जब तक कि यह पार्टियों के कार्य द्वारा समाप्त नहीं हो जाता है। संपत्ति को भुनाने के लिए बंधक का अधिकार तब तक जीवित रहता है जब तक कि बिक्री के पंजीकृत साधन द्वारा बंधक के ब्याज का हस्तांतरण नहीं किया जाता है।

सरफेसी अधिनियम के संदर्भ में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "39. जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं तो निम्नलिखित के संदर्भ में कहा गया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 प्रावधानों के तहत सुरक्षित लेनदार के पक्ष में एक सुरक्षित संपत्ति में सुरक्षित ब्याज के संबंध में सरफेसी अधिनियम और लागू संबंधित नियमों की धारा 13 (1) के तहत, एक सुरक्षित लेनदार को न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना बिक्री का सहारा लेने के लिए खुली छूट दी जाती है। हालांकि, धारा 13 (8) के तहत, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि बंधककर्ता, यानी उधारकर्ता, जिसे अन्यथा देनदार कहा जाता है, बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी भी समय सुरक्षित लेनदार को सभी बकाया राशि देकर संपत्ति को भुनाने का अपना पूरा अधिकार रखता है। धारा 13 की उप-धारा (8) के तहत, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सुरक्षित संपत्ति को सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए जब बिक्री या हस्तांतरण से पहले अंतिम क्षण में उधारकर्ता द्वारा ऐसी निविदा की जाती है। उक्त उप-धारा में यह भी कहा गया है कि उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हमें यह कहने का कोई कारण नहीं मिलता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 के संदर्भ में निर्धारित सिद्धांत, जो सभी बंधकों के संबंध में प्रकृति में सामान्य हैं, एक सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाई गई सुरक्षित संपत्ति में सुरक्षित ब्याज के संबंध में लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी सिद्धांत सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत देनदार और सुरक्षित लेनदार के बीच लेनदेन के संबंध में सभी चार में लागू होते हैं।"

6. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता धारा 13 (8) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। क़ानून कहता है कि यह केवल तभी है जब सुरक्षित लेनदार के बकाया को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तारीख से पहले लागत, शुल्क और व्यय के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि सुरक्षित संपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाना है। अपीलकर्ता को संपत्ति बेचकर अपने बकाया की वसूली के अधिकार पर जोर देने के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के बारे में पता था। अपीलकर्ता ने प्रतिभूतिकरण आवेदन 176 वर्ष 2015 से डीआरटी का रुख किया। उन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए थे। अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 9 मार्च 2016 के अपने आदेश द्वारा बैंक और नीलामी खरीदार को 15 मार्च 2016 तक बिक्री विलेख निष्पादित करने से रोक दिया। स्थगन को 28 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया और इस तारीख तक अपीलकर्ता को 7,00,000/- रुपये की राशि जमा करनी थी। शेष राशि 30 अप्रैल 2016 तक जमा करानी थी। जबकि अपीलकर्ता ने बैंक के साथ 7,00,000/- रुपये की राशि जमा की, वह धारा 13 (8) के प्रावधानों के अनुसार शेष राशि जमा करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही वापस लेने के बाद भी, अपीलकर्ता ने लागत, शुल्क और

खर्चों के साथ बकाया राशि जमा नहीं की। बिक्री की पुष्टि की गई, एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया और 12 अप्रैल 2016 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया। अपीलकर्ता धारा 13 (8) का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन पर मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। **मैथ्यू वर्गीज** (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले में भी यही विचार व्यक्त किया गया है।

7. अपीलकर्ता, हालांकि, जमा की तारीख से भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ अपनी 7,00,000/- रुपये की जमा राशि की वापसी का हकदार है। बैंक ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वह हर समय तैयार है और ऐसा करने का इच्छुक है। बैंक 8 सप्ताह के भीतर 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 7,00,000/- रुपये की इस राशि को वापस कर देगा। उपरोक्त कारणों से, बचत और ब्याज के साथ 7,00,000/- रुपये वापस करने के उपरोक्त निर्देश को छोड़कर, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिला। तदनुसार अपील का निस्तारण किया गया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील निस्तारित।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय